न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 22/2017

1 दीनबन्धु जालान आयु 60 वर्ष पुत्र बिड़दीचन्द जालान जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 38 कस्बा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू हाल निवासी 1503 अविंग एस्टर टावर गोकुलधाम मालाड (ईस्ट) मुम्बई जरिये मुख्तयार खास मुकेश जालान पुत्र किशोरी लाल जालान जाति महाजन निवासी किशोरीलाल जालान किराणा मर्चेन्ट छावनी बाजार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रमाकान्त बावलिया तथाकथित गोद पुत्र मदनलाल बावलिया जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 19 कस्बा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू पॉवर ऑफ अटोर्नी कांशीराम जाति जीनगर निवासी वार्ड नम्बर 19 कस्बा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
2 कासीराम आयु 38 वर्ष पुत्र बंशीधर जाति जीनगर निवासी वार्ड नम्बर 18 कस्बा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी. एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू मुकदमा उनवानी दीनबन्धु जालान बनाम रमाकान्त
बावलिया आदि अ.धा. 340 जा.फौ. मुकदमा नम्बर
17/2017 दिनांक 20.02.2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कृष्ण कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 12-8-22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 17/2017 में पारित निर्णय दिनांक 20.02.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 जा.फौ. के तहत पेश किया। अदालत मातहत ने अपीलांट के उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 20.02.2017 को निर्णित कर खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत ने दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ व कांट छांट अदालत के बाहर मानने में कानूनी गलती की है। मुख्तयारनामा में कांट छांट न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद हुई है। दिनांक 30.12.2015 को व 31.12.2015 को अपीलांट द्वारा अदालत मातहत से मुख्तयारनामा की जो प्रमाणित प्रतिलिपि ली गई उन दोनों की मद संख्या 4 में समय में कांट छांट प्राईमाफेसी साबित है। असल मुख्तयारनामा दिनांक 24.11.2015 को पेश होना प्रकट होता है और इसके बाद मुख्तयारनामा में कांट छांट साबित है। रेस्पोडेंट को बिना नोटिस दिये व मूल पत्रावली का बिना अवलोकन किये निर्णय पारित किया है। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर वर्णित तथ्यों पर कोई गौर नही किया गया है। अदालत मातहत के यहां निर्णित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुंझुनूं)

प्रकरण उनवानी रमाकान्त बनाम दीनबन्दु मुकदमा नम्बर 163/2012 एवं 156/2012 निर्णय दिनांक 23.01.2017 के संलग्न मुख्तयारनामें में जो फोटो प्रति है। उनमें समय 3 वर्ष दर्ज है जो यह साबित करता है कि कांट छांट अदालत में हुई है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2017 अपास्त किया जाकर अपीलांट का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अदालत मातहत को यह आदेश दिया जावें कि वह रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के विरूद्व असल मुख्तयारनामा दिनांकित 13.09.2012 के पृष्ठ संख्या 3 की मद संख्या 4 में की गई कांट छांट के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट/परिवाद पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि सी.पी.सी. में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय की आदेशिका पत्रावली या उसमें न्यायालय से प्रस्तुत दस्तावेजों में सुनवाई के दौरान किसी प्रकार की कांट छांट या तथ्यों को बदलने की कार्यवाही की जाती है , तो न्यायालय उस व्यक्ति के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवाद दर्ज करवाये का आदेश दे सकता है परन्तु न्यायालय में बाहर न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत दावे में पूर्व यदि कोई कांट छांट या तथ्यों से छेड़छाड़ की जाती है, तो उसके लिए हितबद्व व्यक्ति अर्थात प्रभावित पक्षकार अपने स्तर पर विधि के प्रचलित नियमों के अनुसार सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवाद प्रस्तुत करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। परन्तु प्रकरण में न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद कोई कांट छांट किया जाना प्राथमिक तौर पर प्रतीत नही होता है और न्यायालय की किसी आदेशिका में कोई कांट छांट किया जाना प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सी.पी.सी. में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय की आदेशिका पत्रावली या न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों में सुनवाई के दौरान किसी प्रकार की कांट छांट या तथ्यों को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बदलने की कार्यवाही की जाती है, तो न्यायालय उस व्यक्ति के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवाद दर्ज करवाने का आदेश दे सकता है। परन्तु न्यायालय से बाहर न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत करने से पूर्व यदि कोई कांट छांट या तथ्यों से छेड़छाड़ की जाती है तो उसके लिए हितबद्व व्यक्ति अर्थात प्रभावित पक्षकार अपने स्तर पर विधि के प्रचलित नियमों के अनुसार सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवाद प्रस्तुत करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद कोई कांट छांट किया जाना प्राथमिक तौर पर प्रतीत नही होता है और न्यायालय की किसी आदेशिका में कांट छांट किया जाना प्रकट नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिसम्मत प्रतीत होता है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12-8-22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर